सत्यमेव जयते

# राज्यपाल सचिवालय, बिहार

## राजभवन, पटना—800022

पत्रांक—वी.एस.यू.(डाईरेक्टिव)—38/2019— 446 रा.सा.(1) दिनांक— 27-02-2020

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव,
राजभवन, पटना।

सेवा में,

सभी कुलपति,
विश्वविद्यालय, बिहार,
(बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पटना
एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को छोड़कर)

विषयः परीक्षा केन्द्र निर्धारण संबंधी मानक दिशा—निर्देश।

महाशय,

परीक्षा केन्द्र निर्धारण संबंधी मानक दिशा—निर्देश हेतु त्रिसदस्यीय कुलपतियों की समिति की अनुशंसा को माननीय कुलाधिपति के द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदित करने की कृपा की गई है। निदेशानुसार, उपरोक्त दिशानिर्देश अनुपालनार्थ प्रेषित किये जाते हैं, जो निम्नांकित हैं:—

(1). परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय यह निश्चित रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि वहाँ परीक्षार्थियों की निर्धारित संख्या के अनुपात में आसन—व्यवस्था यथा, कक्ष, बेंच, डेस्क आदि से परिपूर्ण हो, जैसे, दो—सीटर बेंच पर अधिकतम एक एवं पाँच—सीटर बेंच पर तीन परीक्षार्थी ही बैठाये जायें। अबाधित विद्युत आपूर्ति पूरे परीक्षा—काल में सुनिश्चित करना संभव हो (जेनरेटर आदि हो) और बैठने/आसन की व्यवस्था/ क्षमता को आंकने के लिए उन्हीं कक्षों/ कमरों/ हॉल की गणना की जाएगी जहॉ प्र्याप्त प्रकाश और गर्मी के मौसम में प्र्याप्त पंखों की व्यवस्था हो।

(2). परीक्षा केन्द्र पर सभी परीक्षा कक्षों में (स्ट्रॉंग रूम सहित) प्रकाश की समुचित व्यवस्था हेतु अबाध बिजली आपूर्ति हेतु बिजली विभाग से बात कर सुनिश्चितता प्रदान करेंगे।

(3). परीक्षा केन्द्र पर महिला एवं पुरूष परीक्षार्थियों के लिए अलग—अलग शौचालय की व्यवस्था के साथ—साथ पेय—जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(4). परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित केंन्द्राधीक्षक स्थानीय स्तर पर मेडिकल व्यवस्था हेतु दायित्व की पूर्त्ति करेंगे।

(5). परीक्षा केन्द्र यथासंभव नजदीक के महाविद्यालयों में ही बनाया जाना चाहिए। साथ ही उक्त मानकों पर अंगीभूत एवं सम्बद्ध दोनों कोटि के महाविद्यालयों को खरा होना अपेक्षित होगा। परीक्षा की गरिमा बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय चाहे तो जिले के बाहर भी केन्द्र बना सकता है।

(6). किसी भी हालत में गृह केन्द्र नहीं बनाये जाना चाहिए।

(7). परीक्षा केन्द्रों की सूची उपर्युक्त मानकों के आलोक में, कुलपति की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश परीक्षा हॉल में प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा संचालन में अनियमितता की स्थिति में परीक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

(8). दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र पर Wheel Chair की सुविधा, भू-तल पर परीक्षा का आयोजन एवं श्रुतिलेख हेतु मानदेय की व्यवस्था हो।

(9). सभी केन्द्रों के प्रवेश द्वार तथा परीक्षा हॉल/कमरा में CCTV की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो।

(10). इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरूपयोग को रोकने हेतु जैमर की व्यवस्था हो।

(11). परीक्षा काल में वीक्षक भी मोबाइल नहीं रखेंगे।

(12). परीक्षा हॉल में प्रवेश के पूर्व फ्रिसकिंग (Frisking) की व्यवस्था हो।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव

ज्ञाप संख्या-वी.एस.यू.(डाईरेक्टिव)-38/2019- 446 रा.सा.(1) दिनांक- 27-02-2020

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव

ज्ञाप संख्या-वी.एस.यू.(डाईरेक्टिव)-38/2019- 446 रा.सा.(1) दिनांक-27-02-2020

प्रतिलिपि तकनीकी निदेशक,एन.आई.टी.सेल, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को राज्यपाल सचिवालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव